कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

भाकृअनुप
ICAR

साफ़ नीयत
सही विकास

कृषि कुम्भ 2019

9–11 फरवरी, 2019
गाँधी मैदान, मोतिहारी
पूर्वी चम्पारण

1. पृष्ठभूमि

भारत का पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, ओडिशा,छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, द्वितीय हरित क्रांति के सपने को साकार करने की प्रबल क्षमता रखता है, जिसे भूमि, जल, फसल, बायोमास,बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन एवं मानव संसाधनों के समग्र प्रबंधन से पूरा किया जा सकता है। यद्यपि यह क्षेत्र प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है, फिर भी इसकी समग्र क्षमता को कृषि उत्पादकता में सुधार, गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका सुधार हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सका है।

बिहार मुख्य रूप से खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। गंगा की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, प्रचुर जल संसाधन, विशेषतः भूजल संसाधन बिहार में कृषि का आधार निर्माण करते हैं। फिर भी लगातार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे उत्तर बिहार में बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखाड़ के कारण बिहार में कृषि के विकास की गति अस्थिर है। इसकी दो मुख्य फसलें चावल और गेहूँ की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है। इसी प्रकार, फलों और सब्जियों की उत्पादकता भी कम है, जबकि यह राज्य पूरे देश में सब्जी उत्पादन में अग्रणी है। तथापि, हाल के वर्षों में, पशुधन क्षेत्र, विशेष रूप से दुग्ध क्षेत्र को बिहार में महत्व मिला है, लेकिन पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों की तुलना में राज्य की दुग्ध उत्पादकता कम है। राज्य में मत्स्य पालन क्षेत्र ने भी पिछले दशक के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन राष्ट्रीय औसत की तुलना में इसकी उत्पादकता अभी भी कम है। यद्यपि बिहार की दो तिहाई से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, परंतु फिर भी राज्य के किसानों की प्रति परिवार औसत आय देश में सबसे कम है।

कृषि कुंभ बिहार को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित कृषि–व्यवसाय का केंद्र बनाने के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है। भारत सरकार ने राज्य में निवेश के लिए स्वस्थ आर्थिक प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए **''ईज ऑफ डुइंग बिजनेस''** के अंतर्गत हाल ही में कई कदम उठाए हैं। खाद्य भंडारण एवं प्रसंस्करण में उन्नत प्रौद्योगिकी और ग्राहकों के बदलते रूझान को देखते हुए कृषि अब केवल एकांगी क्रियाकलाप नहीं है। बागवानी, फूलों की खेती, पशुपालन आदि जैसे कृषि क्रियाकलाप के संभावित कौशल को वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। यह लक्ष्य केवल सरकारी प्रयासों से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सभी हितधारकों, वित्तीय संस्थानों, वैज्ञानिकों, छात्रों और किसानों को कृषि को उद्यम के रूप में स्थापित करने हेतु योगदान देना होगा तथा किसानों के साथ ही कृषि उद्यमियों के प्रोत्साहन पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा।

कृषि कुंभ 2019 किसानों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, अनुसंधान संस्थानों और नीतिनिर्धारकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु किसानों के मध्य जागरूकता निर्माण और व्यवसायिक क्षेत्रों के लिए कृषि उत्पादन एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यवसायिक अवसर प्रदान करता है। यह कार्यक्रम 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में आयोजित हो रहा है जहाँ देश की सर्वोत्तम कृषि विधाओं का प्रदर्शन किया जायेगा। यह कार्यक्रम हितधारकों को निवेश लाभ हेतु एक दूसरे की आवश्यकता को समझने के लिए अवसर प्रदान करेगा।

2. उद्देश्य

- विकास के नये आयामों के सृजन हेतु एक मंच प्रदान करना।
- कृषि, बागवानी, पशुपालन, दुग्धशाला एवं मत्स्यपालन, कृषि अभियांत्रिकी और फसल अवशेष प्रबंधन हेतु नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी के विकास में किसानों के बीच जागरूकता निर्माण करना।
- बिहार के कृषि व्यवसाय में उल्लेखनीय प्रगति करना और कृषि में योगदान देने हेतु भारत के सबसे बड़े राज्य में निवेश के अवसर उपलब्ध करना।
- कृषि क्षेत्र की जरूरतों एवं चुनौतियों का सामना करने और इन समस्याओं का परिवर्तनकारी समाधान प्राप्त करने के लिए एक साथ आगे आना।
- भारत में कृषि के ज्यामितीय प्रगति हेतु ज्ञान साझा करने, समस्याओं पर चर्चा करने एवं समाधान निकालने के लिए नीतिनिर्धारकों, सरकार, मीडिया, उद्यम एवं अन्य हितधारकों का मिलन स्थल।

3. केंद्रित क्षेत्र

- कृषि यांत्रिकीकरण
- कृषि में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और स्टार्टअप
- उन्नत बीज एवं जैव प्रौद्योगिकी
- उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जैव उर्वरक
- कीटनाशकों एवं पौधा वृद्धि विकास नियामक (ग्रोथ रेगुलेटर)
- बागवानी, फलों, फूलों की खेती और मधुमक्खी पालन
- पशुपालन एवं पशु स्वास्थ्य से संबंधित उत्पाद
- ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं कृषि पर्यटन (ग्रामीण विकास)
- सूक्ष्म सिंचाई, संरक्षित खेती, टपक सिंचाई
- सूचना एवं संचार तकनीक तथा कृषि प्रसार सेवाएँ
- चीनी एवं संबंधित उत्पाद
- ई–नैम, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात
- कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण
- कोल्ड चेन एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
- वित्तीय समावेशन हेतु बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान
- दुग्धशाला, मुर्गीपालन एवं रेशम उत्पादन
- पशुधन एवं मत्स्य पालन
- शिक्षा, कौशल एवं उद्यम
- ग्रामीण विपणन एवं जीविका
- सौर एवं हरित ऊर्जा
- जैविक खेती
- फसल बीमा
- औषधीय एवं सुगंधित पौधे
- अक्षय ऊर्जा
- तकनीकी प्रसार

4. प्रदर्शनी

- कृषि निवेश–उर्वरक, कृषि रसायन, बीज एवं कीटनाशक
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
- प्रक्षेत्र मशीनरी एवं ट्रैक्टर
- सूक्ष्म सिंचाई
- सौर एवं हरित ऊर्जा
- शीत भंडार एवं आपूर्ति श्रंखला
- ऊर्जा सरंक्षण / मृदा संरक्षण एवं जल प्रबंधन
- चीनी उद्योग
- पशु आहार
- बायो गैस एवं जैव प्रौद्योगिकी
- गोदाम एवं कुटीर उद्योग
- फसल बीमा
- निजी, ग्रामीण एवं राष्ट्रीयकृत बैंक
- कृषि, ग्रामीण उद्योग तथा कृषि आधारित लघु एवं मध्यम उद्योग
- अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.)
- स्थानीय डीलर्स एवं विनिर्माता
- कृषि में संलग्न कृषि व्यवसायिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियाँ
- कृषि उत्पाद / वाहन
- फूलों की खेती की तकनीक एवं आपूर्ति
- पुष्प प्रसंस्करण एवं पैकिंग
- बागवानी उपकरण एवं ग्रीन हाउस / पॉली हाउस
- हाइड्रोपॉनिक्स उपकरण एवं आपूर्ति
- भूनिर्माण
- घास काटने वाली मशीन एवं बागवानी उपकरण
- नर्सरी एवं कीट नियंत्रण
- पौध सरंक्षण
- कृषि–बागवानी परामर्श सेवाएँ
- मुर्गीपालन, अंडा प्रसंस्करण और पैकिंग मशीनरी
- दुग्धशाला खाद्य विनिर्माण
- उष्मानियंत्रक
- पशुधन प्रबंधन एवं पशुशाला
- दुग्ध निष्कासन उपकरण
- पैकिंग एवं लेबलिंग उपकरण
- मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी
- मत्स्य आहार एवं मत्स्य स्वास्थ्य
- भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय
- सहयोगी राज्य सरकार
- विकास संस्थाएँ
- बैकिंग क्षेत्र
- कॉर्पोरेट क्षेत्र सामाजिक उत्तरदायित्व भागीदार
- जैविक खेती
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालय एवं सी.जी. केन्द्र

5. प्रदर्शनी शुल्क

कृषि कुंभ 2019 में अनुसंधान, विस्तार, उत्पाद विकास, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन, विपणन इत्यादि कार्यों से जुड़े संगठन, जो कृषि एवं कृषि संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित हैं, भाग लेंगे तथा अपने संस्थानों की तकनीक का प्रदर्शन करेंगे जिसके लिए आयोजकों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर उन्हें 10′ x 10′ आकार का स्टॉल निम्नलिखित भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा–

क्र.सं.	संगठन / संस्थान	राशि(रु.में)
1	अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे सिमिट, आई.आर.आर.आई., आई.सी.ए.आर.डी.ए., गैर सरकारी संगठन / गैर सरकारी हितधारक/ उद्योग	50,000 / –
2	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान / राज्य कृषि विश्वविद्यालय / केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय / अन्य सरकारी संस्थान / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	20,000 / –

(स्टॉलों का आवंटन पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा)

यदि किसी फर्म को प्रदर्शनी के लिए खुले स्थान की आवश्यकता होगी तो उसे रू. 1000 / वर्गमीटर की दर से भुगतान करना होगा।

6. विचार–विमर्श के बिन्दु

- वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना
- कृषि क्षमता हेतु यांत्रिकीकरण
- उन्नत बीज
- कृषि में आदान एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन
- कृषि विस्तार में सूचना एवं संचार तकनीक तथा अभिनव मॉडल
- कृषि क्षेत्र को बाजार और निर्यात से जोड़ना
- दुग्धशाला उद्यमिता–दायरा एवं दृष्टिकोण
- व्यापक रोजगार एवं अधिक आय हेतु मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन एवं मत्स्यपालन
- चीनी क्षेत्र–नई नीतियों का समय।
- कृषि लाभ बढ़ाने के लिए फसलोत्तर प्रौद्योगिकी का प्रयोग एवं प्रसंस्करण
- आय एवं पोषण सुरक्षा हेतु बागवानी
- दोगुनी कृषि आय हेतु प्राकृतिक खेती
- नई फसलों के अवसर
- कृषि विकास में बैंक एवं संस्थान
- कृषि स्टार्टअप हेतु वित्तीय समावेशन
- खेती एवं ग्रामीण उद्यमिता में अवसर
- जैविक खेती
- कृषि में विविधिकरण

भागीदारी एवं पूछताछ के लिए

डॉ. उज्ज्वल कुमार, प्रधान, सामाजिक–आर्थिक एवं विस्तार संभाग
भा.कृ.अनु.प. का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पोस्ट–बिहार वेटनरी कॉलेज, पटना–800014
मोबाईल नं.–9431840187
ईमेल–ujkumar19@gmail.com

वातायन